न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

III/निगरानी/सतना/स्टांप आधा/2018/0574

बेद प्रकाश मिश्रा तनय स्व.श्री ईश्वर प्रसाद मिश्रा उम्र 76वर्ष पेशा रिटायार शासकीय कर्मचारी निवासी गढिया टोला वार्ड क.–3 तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र...निगराकार

बनाम

शासन म.प्र.द्वारा स्टाम्प कलेक्टर / पंजीयक सतना म.प्र...............गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 56स्टाम्प अधिनियम बिरूद्ध आदेश कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना के प्र.क.–52 / बी–103 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2017

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे निगराकार निम्न लिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर बिनयी है:–

संक्षिप्त तथ्य

निगराकार द्वारा मौजा अमौधाकला की आ.नं. 96 / 1रकवा 0.53–1 / 2ए. को कय किये जाने का सौदा किया गया और उसी आधार पर उभय पक्षो के मध्य दिनांक 22.10.1992 को सम्पूर्ण रकवे का सौदा शर्तो के अधीन हुआ जो किसी भी प्रकार से दृष्टि्बंधक रेहन की श्रेणी के अन्तर्गत नही था बल्कि अनुबंध पत्र के स्परूप मे था तथा दस्तावेज मे भी इकरारनामा स्पष्ट रूप से अंकित है। किन्तु आराजी से संबंधित प्रकरण लंम्बित होने से बिकय पत्र का निष्पादन नही हो सका और समयसीमा प्रकरण के निराकरण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सतना/स्टा.अ./2018/574

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.05.2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया यह प्रकरण उन्हें वापस किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अनावेदक अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। तथा यह प्रकरण आवेदक अधिवक्ता को वापस किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	